



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, बीकानेर

Email-bikaner.wc@rajasthan.gov.in, ph.- 01512226018  
घनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र, पंचायत समिति परिसर, बीकानेर

क्रमांक - 4667-73

दिनांक 19-6-24

विज्ञप्ति

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2017 के नियम 06 एवं 07 तथा आदेश दिनांक 26.08.2019 के बिन्दु 12(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र महिला थाना बीकानेर के संचालन बाबत पात्रताधारी गैर शासकीय संस्थाओं से एतत् द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 01.07.2024 को सांय 5.00 बजे तक कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, महिला समृद्धि केन्द्र, पंचायत समिति परिसर, बीकानेर में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इससे सम्बन्धित प्रारूप, पात्रता की शर्तें तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाईट [www.wcd.rajasthan.gov.in](http://www.wcd.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, बीकानेर के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ. अनुराधा सक्सेना )  
उपनिदेशक  
महिला अधिकारिता  
बीकानेर।  
दिनांक 19-6-24

क्रमांक 4667-73

प्रतिलिपि-

- 1 श्रीमान् आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर।
- 2 श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
- 3 श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।
- 4 श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बीकानेर।
- 5 प्रोग्रामर निदेशालय महिला अधिकारिता, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कार्यालय जिला परिषद, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

अनुमोदित  
अ.स.स.

RajKaj Ref  
8186402

उपनिदेशक  
महिला अधिकारिता  
बीकानेर  
**Signature valid**  
Digitally signed by Anuradha Saxena  
Designation : Assistant Director  
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST  
Reason: Annrverf



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, बीकानेर

Email-bikaner.we@rajasthan.gov.in, ph.- 01512226018  
धनलक्ष्मी महिला समुदाय केंद्र, पंचायत समिति परिसर, बीकानेर

क्रमांक -

दिनांक

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु  
आवेदन प्रपत्र

(महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)2017 के नियम 6 व 7 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26.08.2019 के बिन्दु 12 के (2) के अंतर्गत )

उपनिदेशक,

महिला अधिकारिता,

बीकानेर।

विषय:- बीकानेर जिले में स्वीकृत महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु आवेदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था बीकानेर जिले के पुलिस थाना.....के थाना भवन में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित करने की इच्छुक है। संस्था का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है:-

**(क) संस्था का परिचय**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| संस्था का नाम                        |  |
| रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं संस्था       | प्रमाणित प्रति संलग्न करें पृष्ठ संख्या..... |
| संस्था का पंजीकृत कार्यालय-पूर्ण पता |  |
| संस्था का संविधान                    | प्रमाणित प्रति संलग्न करें पृष्ठ संख्या..... |
| संस्था की कार्यकारिणी                | प्रमाणित प्रति संलग्न करें पृष्ठ संख्या..... |
| टेलीफोन व मोबाईल नम्बर               |  |
| फैक्स                                |  |
| ई-मेल                                |  |
| वेबसाईट यदि हो                       |  |

RajKaj Ref  
8186402

Signature valid

Digitally signed by Anuradha Saxena  
Designation: Assistant Director  
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST  
Reason: Approved

21/11/24  
अ.रा.स. (1)

(ख) संस्था के कार्य एवं अनुभव

|  |   |
|--|---|
| संस्था का कार्यक्षेत्र   |   |
| संस्था के मूल उद्देश्य   |   |
| संस्था द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही गतिविधियों का विवरण  | संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है। |
| संस्था द्वारा अब तक जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है उसका पूर्ण विवरण   | संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है। |
| संस्था द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण   | संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है। |
| क्या संस्था को व्यथित महिलाओं को सलाह और मार्गदर्शन आदि क्षेत्र का अनुभव है, यदि हां तो कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा विस्तृत विवरण | संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है। |
| संस्था को महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए जिला एवं राज्य सरकार स्तर पर पुरस्कृत किया गया है तो उसका विवरण एवं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।    |   |

13/12/24

9

RajKaj Ref  
क्र. 8186402

Signature valid

Digitally signed by Anuradha Saxena  
Designation: Assistant Director  
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST  
Reason: Approved

(ग) संस्था की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था

|   |   |              |                  |       |      |             |
|---|---|--------------|------------------|-------|------|-------------|
| संस्था में कार्मिकों की कुल संख्या व विवरण                            | नाम   | पद           | शैक्षणिक योग्यता | अनुभव |      |             |
|   |   |              |                  |       |      |             |
|   | उक्त सूचना के लिए अलग से शीट संलग्न की जा सकती है   |              |                  |       |      |             |
| पिछले तीन वर्षों में संस्था की आय के स्रोत एवं व्यय का विवरण          | क्र.सं.   | वित्तीय वर्ष | आय के स्रोत      | आय    | व्यय | विशेष विवरण |
|   | 1.  | 2020-21      |                  |       |      |             |
|   | 2.  | 2021-22      |                  |       |      |             |
|   | 3.  | 2022-23      |                  |       |      |             |
|   | योग   |              |                  |       |      |             |
| संस्था की गत तीन वर्षों की सीए ऑडिट रिपोर्ट                           | वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की सीए ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।                            |              |                  |       |      |             |
| संस्था की वार्षिक रिपोर्ट   | वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के कार्यक्रमों व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें। |              |                  |       |      |             |
| संस्था को गत तीन वर्षों में ब्लैक लिस्ट नहीं किये जाने का प्रमाण-पत्र | राशि रुपये 50 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पर स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र                                      |              |                  |       |      |             |

**घोषणा**

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....(संस्था का नाम) के संबंध में प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाएं, जहां तक जानकारी है, सही और तथ्यों पर आधारित है। हम संस्था के निम्न पदाधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि महिला एवं सुरक्षा सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)2017 में दी गई शर्तों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा। यदि कार्य की अवधि में संस्था द्वारा संपादित कार्य असन्तोषजनक पाया जाता है तो राज्य सरकार संस्था को मान्यता समाप्त कर सकेगी।

**हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी**

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)  
नाम  
पता/टेलीफोन नम्बर  
स्थान  
दिनांक

हस्ताक्षर (सचिव)  
नाम  
पता/टेलीफोन नम्बर  
स्थान

RajKas Ref  
8186402

**Signature valid**

Digitally signed by Anupadha Saxena  
Designation: Assistant Director  
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST  
Reason: Approved

31/06/24  
ममला

## पात्रता की शर्तें

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान अधिसूचना (संशोधन)-2017 के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्तें नियमानुसार हैं:-

1. कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28,1958) अथवा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 (1860 का 21) के अन्तर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 AA में अथवा राजस्थान लोकन्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।
2. संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि में संस्था नियमित रूप से सामाजिक कार्यकलापों से जुड़ी होनी चाहिए।
3. उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला सुरक्षा, संरक्षण एवं अधिनियमों तथा महिला विकास एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हो।
4. राजस्थान सरकार के परिपत्र प 2 (18) आयो./ग्रुप-2/2023/1180 जयपुर दिनांक 17.04.2023 के अनुसार संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र से प्रमाणनशुदा होना चाहिये।



RajKaj Ref  
8186402

Signature valid

Digitally signed by Anuradha  
Saxena  
Designation : Assistant Director  
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST  
Reason: Approved

# समीक्षा

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. संस्था महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन की पात्र होगी चाहिए।
2. इस योजना की शर्तों एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संस्था महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के योग्य होनी चाहिए।
3. संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
4. संस्था के पास महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र चलाने के लिए दो प्रशिक्षित/अनुभवी/योग्य महिला कर्मचारी होनी चाहिए प्रथम परामर्शदाता का समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में आवश्यक रूप से स्नातकोत्तर एवं द्वितीय परामर्शदाता विधि स्नातक होता अनिवार्य है।
5. संस्था के द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण 2005 की धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन सेवाप्रदाता के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य होगा। अगर पंजीयन नहीं है तो अनुबंध समाप्तित करने के 6 माह के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
7. किसी कारणवश चयनित संस्था केन्द्र संचालन में असमर्थ रहती है तो संस्था को जारी किया गया समान संबंधित थाना प्रभारी को सुपुर्द किया जायेगा। जिसका उपयोग उस केन्द्र हेतु चयनित अन्य संस्था द्वारा किया जा सकेगा।
8. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन अवधि अनुबंध किये जाने की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी। जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
9. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2017 की शर्तें/निर्देशों एवं समय-समय पर जारी विभागीय आदेशों/निर्देशों, वित्तीय अनियमितता, असंतोषप्रद सेवा, महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र की पीडिताओं आदि की गोपनीयता भंग करने की दशा में संस्था का अनुबंध किसी भी समय समाप्ति का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
10. संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
11. संस्था आधार योजना में संस्था का पंजीयन होना चाहिए, अगर नहीं है तो पंजीयन करवाकर उपलब्ध करवाना होगा।
12. जहां तक संभव होगा चयनित संस्था को केन्द्र संचालन के लिए स्थान व अन्य सुविधा थाना परिसर में उपलब्ध कराई जाएगी।
13. किसी भी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम विवाद का निपाटरण जिला कलक्टर महोदय की ध्यक्षता में किया जावेगा।
14. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।



RajKaj Ref  
8186402

Signature valid

Digitally signed by Anupadha  
Saxena  
Designation : Assistant Director  
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST  
Reason: Approved